

Publication: **Hindustan** | Region: **Delhi** | Date: **23/03/2014** | Page No.: **13**

जीवन बीमा : सुरक्षा और बचत के साथ टैक्स का भी फायदा



अनुप राज
ग्रोवरी फिलांस लाइफ इंश्योरेन्स

लाइफ इंश्योरेन्स एक दीर्घकालिक वित्तीय साधन है, जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपके परिवार की आर्थिक सहायता करता है। आपके कर्ज को चुकाने में भी आपके परिवार की मदद करता है। चिकित्सा पर आने वाले खर्च को भी उठाता है। बीमा प्रीमियम के भुगतान पर टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है।

स्वयंविश्लेषण करें : वर्तमान समय में आपके परिवार का आकार क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है और भविष्य से आपकी क्या उमीदें हैं? क्या आप अपने परिवार के लिए आजीविका कमाने वाले एकमात्र सदस्य हैं? अपनी मौजूदा बचत का विश्लेषण स्वयं करें और इस बात का मूल्यांकन करें कि कितनी

बचत से आपकी जरूरतों को पूरी कर सकती है। विकल्पों की तुलना करें: अपनी आयु के आधार पर, जीवन बीमा पॉलिसी का मूल्यांकन कर सकते हैं। परिवार के संरक्षण की मूल जरूरतों के लिए एक टर्म प्लान परिवारकिया जा सकता है, जबकि स्वास्थ्य, बचत, बच्चों के लिए कोई योजना अथवा अन्य किसी विशेष योजना के लिए आपको विशेष प्रकार की पॉलिसी पर विचार करना चाहिए। ऑफर दस्तावेज को पढ़ें: पॉलिसी खरीदते समय सबसे जरूरी है कि अपने बीमा एजेंट के साथ ऑफर दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक पढ़ें। पॉलिसी से जुड़े किसी भी सवाल को एजेंट से बेहिचक पूछें।

जीवन बीमा पर टैक्स बचत का फायदा : जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है, टैक्स का दायरा भी बढ़ता जाता है। ऐसे में सही इंश्योरेन्स पॉलिसी चुनकर आप अपनी भेन्हनत से गाढ़ी कमाई को बचा सकते हैं। अधिकांश जीवन बीमा पॉलिसी में जो प्रीमियम चुकाते हैं, उससे आपको टैक्स में फायदा मिलता है।

इसका तात्पर्य है कि आपकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में आपके प्रियजनों को आर्थिक सुरक्षा तो मिलती ही है, साथ ही आप यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेन्स पॉलिसी (यूलिप) में प्रीमियम के योगदान के द्वारा टैक्स में बचत के रूप में अतिरिक्त आय भी प्राप्त करते हैं।